Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with dat
1	2	3	4
		न्यायालय—अपर न्यायायुक्त पंचम्, रांची।	
		<u>ए.बी.पी. नंबर-990 / 2020</u>	
		विजय तिर्की, पिता– सोमरा तिर्की, निवासी–बड़ा घाघरा, थाना–डोरंडा, जिला–रांची, झारखण्ड।	
		बनाम	
		झारखण्ड राज्य	
	04.07.2020	आवेदक की ओर से दं0 प्र0 सं0 की धारा 438 के तहत दाखिल उक्त अग्रिम जमानत	
		आवेदन पर उभय पक्षों को वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से सुना। जी० आर० संख्या—3878/2015	
		का अभिलेख एवं केस डायरी की छाया—प्रति 03.10.2019 तक का प्राप्त है।	
		आवेदक श्री अजय कुमार गुड़िया, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रांची के न्यायालय में	
		लम्बित डोरंडा बाजार थाना काण्ड संख्या—415/2015 ,जी.आर. 3878/2015 अंतर्गत धारा—147,	
		148, 149, 341, 323, 353, 307, 379, 337, 435, 504, 506 भा०द०वि० का प्राथमिकी अभियुक्त है।	
		फर्द बयान के अनुसार घटना संक्षेप यह है कि दिनांक 24.06.2015 को बड़ा घाघरा गांव	
		में अज्ञात पिक—अप वेन द्वारा सड़क दुर्घटना में एक बच्ची हुलसी प्रधान की मृत्यु की सूचना पर	
		सूचक ने मोबाईल में प्रतिनियुक्त अ.नि. चन्द्रभूषण सिंह को घटना स्थल पर जाने का निर्देश दिया।	
		जब वह पुलिस जीप से वहां पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करने लगे। तब वहां पर उपस्थित स्थानीय	
		ग्रामीण और असामाजिक तत्व , पुलिस जीप में आग लगा दिये, जिससे जीप जलने लगी तथा	
		सरकारी वितंतु सेट जल कर नष्ट होने लगा और वे लोग उपस्थित पुलिस बल पर ईटा-पत्थर,	
		लप्पड़-थप्पड़, लात-घुसा चलाने लगे। अनियंत्रित भीड़ को देखकर किसी तरह सभी जान बचाकर	
		भीड़ से अपने को अलग किये। वे लोग मृत बच्ची को सड़क पर रखकर रोड जाम कर आवागमन	
		टप कर दिये एवं आने—जाने वाले वाहनों का शीशा फोड़ दिये। मेडिका एम्बुलेंस में उपस्थित चालक	
		एवं कर्मचारी को मारपीट करने लगे, जिससे वे लोग भी जान बचाने हेतु वाहन छोड़कर हट गये।	
		सूचना मिली कि नामकुम थाना द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली बोलेरो पिक—अप वैन	
		नं0—जे.एच.01बी.बी.—4809 को पकड़ लिया गया है एवं चालक मनोज मुण्डा को गिरफ्तार कर	
		नामकुम थाना में रखा गया। सूचक वाहन एवं चालक पकड़े जाने की खबर देने हेतु अपनी निजी	
		वाहन इंडिगो कार से बड़ा घाघरा गांव के ग्रामीणों के पास गया। उसके जाने पर सभी शांत होकर	
		उसकी बात सुनने लगे और जब वह यह कहा कि वाहन और चालक पकड़ा गया है, बच्ची की मौत	
		का मुआवजा मिलेगा, इस पर अचानक भीड़ उग्र हो गयी तथा उसे भी घेरकर मारपीट करने लगी,	
		वह अपने कार में बैठ कर वापस जाना चाहा तो उसे सभी पकड़कर जलती जीप में फेंक कर	
		जिन्दा जलाने का प्रयास किये। सभी ईंट, पत्थर डंडा बगैरह से उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिया।	
		मेडिका का एम्बुलेंस में भी आग लगा दिये और 8—10 वाहन का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिये	
		तथा द्रक पर लदा 60—70 बोरा चावल चोरी किये। वह भी जान बचाकर गश्ती दल के	
		पदाधिकारियों के पास पहुंचा और घटना की सूचना वरीय पुलिस अधिकारी को दिया, तब दमकल	
		गाड़ी वरीय पदाधिकारी, पुलिस लाईन से फोर्स घटनास्थल पर आयी और मामले को शांत की। ह	
		ाटना स्थल पर ही गुप्त एवं खुले रूप से पता चला कि इस प्रकार के आपराधिक घटना को करने	
		में मुख्य रूप से बड़ा घाघरा गांव एवं आसपास के गांव के रोहित कच्छप, सुदर्शन कच्छप, गुड़डु	
		गोसाई, मिन्टू गोसाई, पूनम तिर्की, सुमन गुड़िया, अजय कच्छप, अरूण तिर्की, बाटा कच्छप, दुर्गा	
		गोसाईं, सिन्टू गोसाई, राजन, शंकर कच्छप, विजय तिर्की, संजय कच्छप, फंटूश गोसाई, राजेश	
		गोसाईं, कालीचरण गोसाईं, पप्पु गोसाईं एवं अन्य 200 से 300 महिला, पुरूष शामिल थे।	
		आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने, आवेदक की ओर से प्रविष्ट अग्रिम जमानत आवेदन	
		को प्रचालित करते हुए कथन किया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में कोई जमानत आवेदन न तो	

इस न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है । आवेदक निर्दोष है, वह कोई अपराध कारित नहीं किया है। सह अभियुक्त अरूण तिर्की एवं शंकर कच्छप को क्रमशः

ए.बी.पी. नंबर-990 / 2020	CNR	JHRN 010037912020	3
1.91.71. 191 000/ 2020	O111	JIII	•

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office notice taken with date